संख्या–भा.स. 117 / 14–2–2018–800(124) / 2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2018

विषय :– जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) किमी0 सं0–49.500 से किमी0 सं0–140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 66 / 2018 / एफसी / 327 दिनांक 07.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.08.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 724 / 11–सी– FP/UP/Road/30569/2017, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 10 ,2018

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निर्धारित प्रारूप में कराके सूचना / अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निर्धारित प्रारूप में करके सूचना / अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक तकनीकी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक 722 / सी0/33 दिनांक अगस्त 14, 2018

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ -226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/66/2018/एफ.सी./327 दिनांक: 07.08.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/ROAD/30569/2017

विषयः जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 07 (वाराणसी–हनुमान सेक्शन) किमी0 सं0 49.500 से किमी0 सं0 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक–पी–137/14–2–2018–800(124)/2018, दिनांक–25.07.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

1- Area calculation sheet giving details of ROW area utilized for widening/ construction of road & Balance of width of ROW at different Chainage has also not been provided.

2- In site inspection report of CCF, Mirzapur, translocation of 222+155 = 377 trees have been recommended. Information regarding cost, modalities & place of relocation must be submitted by the State Government & it should be at the Project cost for which undertaking must be furnished by the user agency.

3- The net suitable area for Plantation as per GIS-DSS analysis is 249.42 ha. only which is less than area required.

4- The CA land patch 'Hardi Kala Imali' having gross area 79.75 ha. As per GIS-DSS analysis only 6 ha. is suitable for plantation area i.e. 73.75 ha. falls under Most Dense Forest (MDF) category. It needs revision.

5- No. of trees felling proposed under the project is very large. It shall be taken care that wherever feasible trees should be translocated and a detailed plan in this regard be submitted. Similarly the trees on the margin/borders may be kept out of enumeration (if possible technically). Keeping in view these facts revised enumeration list of trees should be submitted.

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)